1.	2	3
36.	580	15-09-90
37.	293	11-05-91
38.	591	26-12-92
39.	164	27-03-93
40.	522	29-10-94

(व्यय विभाग)

नई दिल्ली, 15 फरवरी, 2002

सा. का. नि. 100.—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 148 के खंड (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक से परामर्श करने के पश्चात् भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग (स्टाफ कार चालक और सवार हरकारा) भर्ती नियम 1988 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग (स्टाफ कार चालक और सवार हरकारा) भर्ती (संशोधन) नियम, 2002 है।

(ख) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग (स्टाफ कार चालक और सवार हरकारा) भर्ती नियम 1988 की अनुसूची के स्तम्भ 2 में,

(क) स्टाफ कार चालक (साधारण श्रेणी) के पदों से संबंधित "57 (2000)" प्रविष्टि के स्थान पर "39 (2002)" प्रविष्टि रखी जाएगी।

(ख) स्टाफ कार चालक श्रेणी-II के पद से संबंधित "26 (2000)" की प्रविष्टि के स्थान पर "38 (2002)" प्रविष्टि रखी जाएगी।

(ग) स्टाफ कार चालक श्रेणी-I के पद से संबंधित "20 (2002)" प्रविष्टि के स्थान पर "44 (2002)" प्रविष्टि रखी जाएगी।

3. स्टाफ कार चालक श्रेणी-I के पद से संबंधित क्रम सं. 4 और प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी अर्थात् :—

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन-सह-ज्येष्ठता या योग्यता के आधार पर चयन अथवा अचयन	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं
1	2	3	4	5	6	7
5. स्टाफ कार चालक विशेष श्रेणी	6* (2002) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित अनुसचिवीय	5000-150-8000 रु.	अचयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
11	12
प्रोन्नति द्वारा	प्रोन्नति : ऐसे स्टाफ कार चालक श्रेणी-I जिन्होंने उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की है।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
13	14
विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे :— 1. सहायक नियंत्रक महालेखा परीक्षक (एन) —अध्यक्ष 2. भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग के किसी अन्य कार्यालय से ज्येष्ठ उपमहालेखाकार/उप महालेखाकार के रैंक का कोई अन्य अधिकारी —सदस्य 3. ज्येष्ठ लेखा परीक्षाक/लेखा अधिकारी के रैंक का कोई अधिकारी —सदस्य	लागू नहीं होता

[फा. सं. ए-12018/21/99-ई.जी.]

महेन्द्र कुमार, उप सचिव

R Rs for the Posting SCD (Spl Grade)

टिप्पण : मूल नियम सा. का. नि. 613 तारीख 14-7-88 द्वारा भारत के राजपत्र भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) तारीख 30-7-88 में प्रकाशित हुए थे और तत्पश्चात् उनमें सा. का. नि. 449 तारीख 31-10-2000 द्वारा संशोधन किया गया।

(Department of Expenditure)

New Delhi, the 15th February, 2002

G.S.R. 100.—In exercise of the powers conferred by clause (5) of article 148 of the Constitution and after consultation with the Comptroller and Auditor General, the President hereby makes the following rules further to amend the Indian Audit and Accounts Department (Staff Car Drivers and Despatch Rider) Recruitment Rules, 1988, namely :—

1. (1) These rules may be called the Indian Audit and Accounts Department (Staff Car Drivers and Despatch Rider) Recruitment (Amendment) Rules, 2002.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Indian Audit and Accounts Department (Staff Car Drivers and Despatch Rider) Recruitment Rules, 1988, in column 2,—

(a) relating to the posts of Staff Car Driver (Ordinary Grade) for the entry, "57 (2000)", the entry "39 (2002)" shall be substituted;

(b) relating to the posts of Staff Car Driver Grade-II, for the entry, "26 (2000)", the entry "38 (2002)" shall be substituted;

(c) relating to the posts of Staff Car Driver Grade-I, for the entry, "20 (2000)", the entry "44 (2002)" shall be substituted;

3. After serial number 4 relating to the post of Staff Car Driver Grade-I and the entries thereof, the following serial number and entries shall be inserted, namely :—

SCHEDULE

Name of the post	Number of posts	Classification	Scale of pay	Whether selection by merit or selection-cum-seniority or non-selection post	Age limit for direct recruits
1	2	3	4	5	6
5. Staff Car Driver Special Grade	6* (2002) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'C' Non-Gazetted Ministerial	Rs. 5000-150-8000	Non-selection	Not applicable

Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the Central Civil Service (Pension) Ruls, 1972	Educational and other qualification required for direct recruits	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
7	8	9	10
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable

Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the posts to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made
11	12
By Promotion	**Promotion :** Staff Car Drivers Grade I with three years regular service in the grade.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
13	14
Departmental Promotion Committee consisting of : 1. Assistant Comptroller and Auditor General (N) —Chairman	Not applicable

1	3	
2.	Any other officer in the rank of Senior Deputy Accountant General/Deputy Accountant General from any other office of Indian Audit and Accounts Department	—Member
3.	An officer in the rank of Senior Audit/ Accounts Officer	—Member

[F. No. A-12018/21/99-EG]

MAHENDRA KUMAR, Dy. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Part II, Section-3(i) dated 30-7-1988 vide G.S.R.-613 dated 14-7-1988 and subsequently amended vide G.S.R. 449 dated 31-10-2000.

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 15 मार्च, 2002

सा. का. नि. 101.—वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग की अधिसूचना संख्या ए-12034/12/99-प्रशा. I, दिनांक 19-10-2001 में निम्नलिखित भूल-सुधार किए जाएं :—

1. सहायक निदेशक :

कॉलम "6" के नीचे नोट "2" को इस प्रकार पढ़ा जाए:—

"आयु-सीमा निर्धारण हेतु निर्णायक तिथि असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर राज्य का लद्दाख मण्डल, हिमाचल प्रदेश का लाहौल एवं स्पीति जिला और चम्बा जिला का उप-मण्डल पणजी, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह अथवा लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित अंतिम तारीख को छोड़कर आवेदन प्राप्ति की अंतिम तारीख होगी।"

के बदले में;

"आयु-सीमा निर्धारण हेतु निर्णायक तिथि भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि होगी। (और न कि असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर राज्य का लद्दाख मण्डल, हिमाचल प्रदेश का लाहौल एवं स्पीति जिला और चम्बा जिले का उप-मण्डल पणजी, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह अथवा लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित अंतिम तिथि)"

2. वरिष्ठ अन्वेषक :

कॉलम "6" के नीचे नोट "2" को इस प्रकार पढ़ा जाए:—

"आयु-सीमा निर्धारण हेतु निर्णायक तिथि असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर राज्य का लद्दाख मण्डल, हिमाचल प्रदेश का लाहौल एवं स्पीति जिला और चम्बा जिला का उप-मण्डल पणजी, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह अथवा लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित अंतिम तारीख को छोड़कर आवेदन प्राप्ति की अंतिम तारीख होगी।"

के बदले में;

"आयु-सीमा निर्धारण हेतु निर्णायक तिथि भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि होगी। (और न कि असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर राज्य का लद्दाख मण्डल, हिमाचल प्रदेश का लाहौल एवं स्पीति जिला और चम्बा जिले का उप-मण्डल पणजी, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह अथवा लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित अंतिम तिथि)"

[सं. ए-12034/12/99-प्रशा. I]

एस. एल. नेगी, अवर सचिव